UPAU010038732025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, औरैया

उपस्थितः–**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP–2391

सत्र वाद संख्या–995 सन 2025

राज्य बनाम वेद सिंह आदि

मुकदमा अपराध संख्या–**438/2025**

धारा–**8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट**

थाना–**औरैया** जिला–औरैया

दिनांक–10.06.2026

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित।

2. प्रार्थी वेद सिंह द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थनापत्र कागज संख्या 16ख/1 ता 16ख/2 वास्ते उक्त अभियोग से उन्मोचन हेतु प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह निर्दोष है और उक्त अभियोग में गलत तथ्य दर्शाकर उसकी गलत गिरफ्तारी दर्शाकर उसके विरूद्ध झूठे तथ्यों पर एफ०आई०आर० थाना हाजा की पुलिस ने दर्ज करायी है। थाना हाजा की पुलिस ने गिरफ्तारी प्रपत्र प्रारूप–1 के खाना सं0 2 में अपराध संख्या 438/25 धारा 8/20 N.D.P.S. एक्ट थाना कोतवाली औरैया का वर्णन करते हुये मौके पर तैयार किया है। इससे स्पष्ट है कि कथित गिरफ्तारी के पूर्व उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हो चुका था इस प्रकार गिरफ्तारी प्रपत्र फर्जी सिद्ध होता है और पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी दिखायी गयी है वह फर्जी सिद्ध होती है इस प्रकार उसको उक्त अभियोग में उन्मोचित किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी प्रपत्र में गिरफ्तारी का स्थान का वर्णन नहीं किया गया है इससे भी स्पष्ट है कि कथित गिरफ्तारी फर्जी सिद्ध होती है इस स्तर पर भी वह उक्त अभियोग से उन्मोचित किये जाने योग्य है। उक्त अभियोग में वादी द्वारा सरकारी गाड़ी नं० –यू०पी० 79 जी 0261 से कथित घटनास्थल पर जाना अपनी फर्द में बताया है तथा चालक का नाम कां0 1299 प्रवेन्द्र सिंह द्वारा गाड़ी को ले जाना बताया है परन्तु विवेचक ने कां0 1299 प्रवेन्द्र सिंह का कोई बयान नहीं लिया है। इससे स्पष्ट है कि चालक कथित घटनास्थल पर मौके पर नहीं गया है। इस स्तर पर भी आरोप पत्र गलत होना सिद्ध होता है। इस स्तर पर भी वह उन्मोचित किये जाने योग्य है। उक्त अभियोग की फर्द के अनुसार एवं जामा तलाशी में उस पर एक मोबाइल व एक पर्स व एक डोगल का मिलना कहा है और यह माल मुकदमाती का न होने के कारण उसको वापस करना कहा है तथा जी०डी० नं0 15 दिनांक 22.06.2025 समय 06:58 बजे में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मुल्जिम पर जामातलाशी पर मिला एक मोबाइल, एक पर्स, व एक डोगल पुनः वापिस किया गया है परन्तु यह बात पुलिस को जानकारी है कि गिरफ्तारी के बाद मोबाइल जैसी वस्तु का गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम को नहीं दिया जाता है क्योंकि मुल्जिम मोबाइल का दुरूपयोग कर सकता है और जेल में मोबाइल व डोगल जैसी वस्तु रखना नियम विरूद्ध है परन्तु इसके उपरान्त भी पुलिस द्वारा उसको मोबाइल व डोगल क्यों दिया गया है इससे स्पष्ट है कि पुलिस की गिरफ्तारी से लेकर सम्पूर्ण विवेचना तक दूषित है और पुलिस की कार्यप्रणाली भी दूषित है और पुलिस की फर्द बरामदगी भी झूठी है क्योंकि मूल जी०डी० में मु०अ०सं० –438/2025 धारा

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.06.10 12:45:29 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

8/20 N.D.P.S. एक्ट का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जब उपरोक्त अभियोग की फर्द बनाने के बाद तथा गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार करने के बाद उसका दाखिला थाने में किया गया था उसके पूर्व मु०अ०सं० 438/2025 थाना औरैया में धारा 8/20 N.D.P.S. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हो चुकी थी इन तथ्यों के आधार पर उक्त अभियोग की गिरफ्तारी होने से लेकर आरोप पत्र प्रेषित होने तक यह सिद्ध होता है कि जिस तरह की घटना उसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शायी गयी है उस तरह की कोई घटना उसके द्वारा नहीं की गयी है और उस पर फर्जी बरामदगी दिखाकर के गलत साक्ष्य एकत्रित करके गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। इस स्तर पर उसको उक्त अभियोग से उन्मोचित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एवं विधि मान्य सिद्धांतो के आधार पर उसको उक्त अभियोग से उन्मोचित किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के उपरांत प्रार्थी /अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सृजित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5. पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि आरोपी को पुलिस द्वारा अपराध संख्या 438/25 धारा 8/20 N.D.P.S. एक्ट थाना कोतवाली औरैया के अपराध में गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। आरोपी द्वारा स्वयं को इस प्रकरण में उन्मोचित किये जाने का प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। कोई भी न्यायालय आरोपी को तभी उन्मोचित कर सकती है जब उस न्यायालय को लगता है कि आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत या दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं, तो वे ट्रायल (मुकदमे) शुरू होने से पहले ही आरोपी को आरोपमुक्त कर सकती है। किसी भी प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा तभी आरोप मुक्त किया जा सकता है जब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि प्रथम दृष्टया मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों में कोई ठोस मामला नहीं बनता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में आरोपी के विरूद्ध कोई कानूनी अपराध साबित होता नहीं दिखता है।

6. आरोप तय करते समय न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट होना होता है कि आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। इस सीमित उद्देश्य के लिए न्यायालय अभिलेखों में मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन वह साक्ष्यों का गहन विश्लेषण नहीं कर सकता। प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद केस डायरी, अभियोजन प्रपत्र व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का सम्यक परिशीलन किया गया जिसके उपरान्त इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के विरूद्ध विवेचक द्वारा साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आरोपित के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है या उसके विरूद्ध कोई अपराध साबित नहीं होता है।

7. **माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप मुक्त (Discharge)के संदर्भ में निम्न विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है-**

(i) Hon’ble Supreme Court in M.P. -Vrs.- Awadh Kishore Gupta reported in (2004) 1Hon’ble S C Cases 691, it is held that when charge is framed, at that stage, the Court has to only prima facie be satisfied about existence of sufficient ground for proceeding against the accused. For that

limited purpose, the Court can evaluate materials and documents on records but it cannot appreciate evidence. The Court is not required to appreciate evidence to conclude whether the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. The Court should not act on annexures to the petitions under Section 482 of the Code, which cannot be termed as evidence without being tested and proved.

(ii) In case of A.R. Saravanan -Vrs.- State reported in 2003 Criminal Law Journal 1140, it is held by Hon'ble Court as follows:-"7. , it is the duty of the trial court to look into whether there is ground for presuming commission of offence or whether the charge is groundless. The trial court is required to see whether a prima facie case pertaining to the commission of offence is made out or not. At the stage of 239 of Cr.P.C., the trial court has to examine the evidence only to satisfy that prima facie case is made out or not. The Magistrate has to consider the report of the prosecution, documents of both sides, hear the arguments of the accused and prosecution and arrive at a conclusion that the materials placed, on their face value would furnish a reasonable basis or foundation for accusation.

(iii) Hon'ble Allahabad High Court in Criminal Revision No. - 3876 of 2015 Revisionist :- Dr. Mahesh Chandra Gupta vs State Of U.P. held that the NDPS Act to hold that provisions of Section 50 of the Act are mandatory and that Section 42 of the Act can be substantially complied with, but whether the same are complied or not is a question of fact involving appreciation of evidence. In other words, the issue of non-compliance of Sections 41/ 42/ 50 of the Act cannot be a subject matter either of discharge or for quashing of the pending proceedings.

8. अभियुक्तगण के पास से 96 किलो 870 ग्राम गांजा बरामद होना बताया है जो वाण्जियिक मात्रा 20 किलोग्राम से अत्यधिक है। इस प्रकरण में अभियुक्तगण के पास से भारी मात्रा में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत गांजा पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में जो कथन किये गये है वह विचारण के दौरान विचारणीय है। अतः प्रार्थनापत्र कागज संख्या 16 ख/1 ता 16 ख/2 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 16 ख/1 ता 16 ख/2 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 25.06.2026 को पेश हो।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम/
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट,
औरैया।